

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/पार्ट -II/2021/ 5900

दिनांक : 29.11.21

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 30.09.2021 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने हेतु रिक्तियों की सूचना समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से प्राप्त की गई। इन रिक्तियों में से सदस्यों के 11 पद उन निकायों में है जिनकी निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार है।

आयोग द्वारा जिन निकायों में अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली तैयार है उन निकायों में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने पर विचार किया गया। ऐसे रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद /नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	अलवर	1.	न.प. अलवर	24
2.	बून्दी	2.	न.पा. केशोरायपटन	19
3.	जयपुर	3.	न.नि. जयपुर हैरिटेज	57
		4.	न.नि. जयपुर हैरिटेज	97
4.	जालोर	5.	न.पा. भीनमाल	35
		6.	न.पा. सांचौर	17
5.	नागौर	7.	न.पा. मकराना	24
6.	राजसमन्द	8.	न.पा. नाथद्वारा	24
7.	सिरोही	9.	न.प. सिरोही	29
	टोंक	10.	न.प. टोंक	42
8.		11.	न.प. टोंक	28

उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	06.12.2021 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	10.12.2021 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	11.12.2021 (शनिवार) प्रातः 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि	13.12.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	14.12.2021 (मंगलवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	21.12.2021 (मंगलवार) प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	23.12.2021 (गुरुवार) प्रातः 9.00 बजे से

उक्त उप चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न कराए जायेंगे।

• मतदाताओं की पहचान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो

पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

• कोविड-19 संक्रमण से बचाव

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिनांक 23.11.2021 को संशोधित गाईडलाईन जारी की गई है। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों की पूर्ण रूप से पालना करें।

मतदान दलों में भी ऐसे कार्मिकों को ही नियुक्त करने के निर्देश भी प्रदान किए हैं जिनको कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। इसके अतिरिक्त मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं हेतु भी ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो।

• आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

चित्रा

29.11.2021

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 29.11.21

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/पार्ट -II/2021/ 5901-05
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।

29.11.2021
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव